सत्यमेव जयते

दिल्ली सरकार छात्रवृत्ति योजनाएं

केवल दिल्ली निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतू

DELHI GOVERNMENT

दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती हैं:-

<u>दिल्ली राज्य प्रायोजित वित्त पोषक छात्रवृत्तियां</u>

1. **सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी/पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी (कक्षा 1 से 12)।**

(अ) न्यूनतम 50% अंक और पिछली कक्षा में 70% न्यूनतम उपस्थिति।

(आ) अधिकतम प्रतिपूर्ति राशि रु. 48,000/- या वास्तविक भुगतान जो भी कम हो।

(इ) वार्षिक आय सीमा 3.00 लाख रुपये।

(ई) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।

2. **कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति**

(अ) पिछली कक्षा में न्यूनतम 60% अंक।

(आ) एससी/एसटी वर्ग के लिए कोई आय सीमा नहीं।

(इ) ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए आय की सीमा 3.00 लाख प्रति वर्ष है।

(ई) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।

3. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डा. बी. आर. अम्बेडकर राज्य टॉपर्स पुरस्कार**

(अ) दिल्ली में मौजूद सभी राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय योजना में शामिल हैं।

(आ) प्रत्येक विश्वविद्यालय में डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्रत्येक विषय में प्रत्येक टॉपर्स को 25000/- रुपये।

4. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता। (केवल ऑफलाइन)**

(अ)) पीएचडी के लिए - 55% अंक या संबंधित मास्टर डिग्री में बराबर ग्रेड।

(आ) संबंधित वर्ष की कट-ऑफ तिथि के अनुसार 30 (तीस) वर्ष से कम आयु।

(इ) मास्टर डिग्री के लिए- संबंधित बैचलर्स डिग्री में 55% अंक या बराबर ग्रेड।

(ई) मास्टर डिग्री/पीएचडी या वास्तविक राशि जो भी कम हो, का अध्ययन करने के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये (दिशा-निर्देशों के अनुसार)।

(उ) आय सीमा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष।

(ऊ) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना (कक्षा 9 से 12)।

(अ) कक्षा 9वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए रुपये 5000/- प्रति वर्ष और पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक।

(आ) कक्षा 11वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए रुपये 10000/- प्रति वर्ष और पिछली कक्षा में न्यूनतम 60% अंक।

(इ) आय सीमा 8 रुपये लाख प्रति वर्ष।

(ई) वार्षिक आय सीमा- पिछली कक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, कोई आय सीमा लागू नहीं है।

(उ) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।

केन्द्र सरकार व दिल्ली राज्य संयुक्त प्रायोजित वित्त पोषक छात्रवृत्तियां

6. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-परवर्ती स्कॉलरशिप योजना।

(अ) पूर्ण ट्यूशन शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क, जैसा कि लागू हो। (दिशा-निर्देशों के अनुसार) इसके अतिरिक्त हॉस्टलर्स छात्रों को रखरखाव भत्ता 3800 रुपये से 12000 रुपये प्रतिवर्ष तथा डे स्कॉलर्स छात्रों को 2300 रुपयें से 5500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। (दिशा-निर्देशों के अनुसार) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार)।

(आ) आय सीमा 2.50 रुपये लाख प्रति वर्ष।

(इ) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।

7. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप योजना।

(अ) अनुरक्षण भत्ता डे स्कॉलर्स के लिए 2250 रुपये प्रति वर्ष और हॉस्टलर्स के लिए 5250 रुपये प्रति वर्ष और डे स्कॉलर्स के लिए 750 रुपये वार्षिक और हॉस्टलर्स को 1000 रुपये प्रतिवर्ष, एड-हॉक अनुदान के रूप में। (दिशानिर्देशों के अनुसार)

(आ) आय सीमा 2.50 रुपये लाख प्रति वर्ष।

(इ) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।

8. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-परवर्ती स्कॉलरशिप योजना

(अ) कक्षा 11 से लेकर पीएचडी तक के छात्रों के लिए, जो कि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान अध्ययन कर रहें है।

(आ) विभाग ने पाठयक्रम शुल्क 20,000 रुपये वास्तविक या जो भी कम हो हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर्स के लिए निर्धारित किया है।

(इ) इसके अतिरिक्त हॉस्टलर्स छात्रों को रखरखाव भत्ता 2600 रुपये से 7500 रुपये प्रतिवर्ष तथा डे स्कॉलर्स छात्रों को 1600 रुपयों से 3500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार)

(ई) आय सीमा 2.50 रुपये लाख प्रति वर्ष।

(उ) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।

9. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप योजना।

(अ) कक्षा 3 से 10 हॉस्टलर्स छात्रों के लिए 5000 रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 1 से 10 डे स्कॉलर्स छात्रों के लिए 1000 रुपये प्रतिवर्ष है। इसके अतिरिक्त अस्थाई अनुदान 500 रुपयें प्रतिवर्ष हॉस्टलर्स छात्रों और डे स्कॉलर्स छात्रों को दिया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार)।

(आ) आय सीमा 2.50 रुपये लाख प्रति वर्ष।

(इ) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।

उक्त समस्त योजनाओं के लिए विद्यार्थियों को (केवल 4 नं. वाली छात्रवृत्ति को छोड़कर जो कार्यालय में ही जमा होगा) दिल्ली सरकार के https://edistrict.delhigovt.nic.in पोर्टल पर जाकर प्रार्थना पत्र आनलाइन भरना होगा।

योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी, ऑन-लाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया तथा आवेदन पत्रों की सम्बंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सत्यापित करने की विस्तृत जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है।

नोडल विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग,
कल्याण विभाग बी-ब्लाक, द्वितीय तल,
विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002
ई-मेल: dscstschscheme.delhi@gov.in
वेबसाईट: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in
हेल्पलाइन : 011-23379512

हेल्पलाइन समय:
सभी कार्य दिवस सुबह
10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक